

मानकीकृत क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) के पहलू

[सिफारिश 8.18]

सीआईआर के फॉर्मेट को मानकीकृत किए जाने की जरूरत महसूस नहीं की गई क्योंकि इस प्रकार की विविधता बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। तथापि, साख सूचना कंपनियों को चाहिए कि वे सीआईआर शब्दावली को मानकीकृत करने के साथ ही उसमें कुछ अनिवार्य फील्ड शामिल करें। इससे उपयोगकर्ताओं को दो या अधिक साख सूचना कंपनियों से प्राप्त सीआईआर के बीच तुलना के लिए कुछ आधार उपलब्ध हो सकेगा। तथापि, साख सूचना कंपनियों को सीआईआर तैयार करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

- i. सह-उधारकर्ता और गारंटर की रिपोर्टिंग : साख सूचना कंपनियों को चाहिए कि वे सीआईआर में सह-उधारकर्ता और गारंटर की रिपोर्टिंग करें। इससे एक्सपोजर की उस सीमा का निर्धारण करने में सहायता मिलेगी जिसके लिए किसी संस्था के संबंध में एक बैंक/वित्तीय संस्था विचार कर सकती है। सीआईआर में ग्राहकों द्वारा उनके उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता / गारंटर के रूप में लिए गए ऋणों के ब्यौरे भी दिए जाने चाहिए।
- ii. अस्वीकृत किए गए ऋणों की रिपोर्टिंग : साख सूचना कंपनियों द्वारा ग्राहकों/व्यक्तियों को पिछले समय में अस्वीकृत किए गए ऋणों से संबंधित सूचना दिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी सूचना ग्राहकों के हितों के प्रतिकूल हो सकती है यदि एक बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा की गई अस्वीकृति को दूसरे बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा उसी ग्राहक के प्रति अस्वीकृति का आधार बनाया जाए।
- iii. विशिष्ट पहचान : साख सूचना कंपनियों को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई पैन/आधार संख्या जैसी विशिष्ट पहचान संख्या का प्रयोग

करते हुए एक उधारकर्ता के लिए केवल एक सीआईआर उपलब्ध कराना चाहिए, भले ही फर्म/व्यक्ति के पते एक से अधिक हों।

- iv. संपत्ति को बंधक रखने संबंधी जानकारी: उपभोक्ता ब्यूरो फार्मेट में फिलहाल संपत्ति के बंधक संबंधी जानकारी साझा नहीं की जाती है। बैंक/ वित्तीय संस्थाएं ऐसे डेटा को साख सूचना कंपनियों के साथ साझा करें जो इनके डेटाबेस को समृद्ध बनाने में मददगार होगा।
- v. एक से अधिक उधारराशियां : एक ही ग्राहक द्वारा एक से अधिक उधार लिए जाने के मामले में, जहां मौजूदा और पुराने दोनों खाते शामिल हैं, विभिन्न खातों के संबंध में सूचना इस क्रम में प्रदान की जा सकती है - मौजूदा खाते, बंद हो चुके खाते तथा एनपीए/इरादतन चूक/वाद दाखिल खातों की समग्र स्थिति तथा प्रत्येक खाते के संबंध में सीमाएं और देयताएं ।
- vi. उपभोक्ता और वाणिज्यिक रिपोर्टों का जोड़ा जाना: यह सूचित किया जाता है कि व्यावसायिक रिपोर्टों में निदेशकों/गारंटीकर्ता/साझेदारों/मालिक के नाम शामिल किए जाएं । साख सूचना कंपनियों को ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में जिनका उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एमएफआई डेटाबेस में कोई क्रेडिट पूर्ववृत्त उपलब्ध है, ऋण सूचना रिपोर्ट उपलब्ध कराते समय इन सभी डेटाबेस से उधारकर्ता का पूर्ववृत्त शामिल करते हुए उधारकर्ता का संपूर्ण पूर्ववृत्त देना चाहिए ताकि कोई वित्तीय संस्था उधारकर्ता की ऋणदाताओं (बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / एनबीएफसी-एमएफआई / एनबीएफसी आदि..) के प्रति समग्र ऋणग्रस्तता को आसानी से माप सके।
- vii. खाते की अद्यतन स्थिति देखना : साख सूचना कंपनियों द्वारा सदस्यों को उनके डेटाबेस में खाता स्तर पर होने वाले अपडेट्स को देखने के लिए फ्रंटएंड इंटरफेस के माध्यम से एक विशेष 'व्यू' / 'रीड ओनली' एक्सेस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को खाता अपडेट / परिवर्तन का अनुरोध अपलोड करने या इसकी पुष्टि करने के साथ ही ऋण सूचना रिपोर्टों में

विसंगतियों के शीघ्रता से हल करने में मदद मिल सकेगी। एक संपूर्ण ऑनलाइन डेटा सुधार तंत्र जैसा कि कुछ देशों में उपलब्ध है, को लागू किए जाने हेतु जरूरी कदम उठाए जाएं। साख सूचना कंपनियां ग्राहक सेवा के हित में यथाशीघ्र परंतु किसी भी सूरत में एक वर्ष से अनधिक अवधि में भारत में ऐसी संरचना को प्रभावी बनाए जाने के प्रयास करें।

- viii. सीआईआर में विवादित सूचना दर्शाना : सीआईआर में शामिल कोई सूचना यदि विवादित है और संबंधित मामले का हल संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है तो इस बारे में पर्याप्त प्रकटीकरण भी दिए जाने चाहिए। यदि ग्राहक, चाहे तो, उसकी टिप्पणियां भी सीआईआर में शामिल की जा सकती हैं। उपभोक्ता विवाद से संबंधित कुछ फील्डस यथा- विवाद कूट, विवाद के ब्यौरे, विवाद की तारीख और विवाद पर ग्राहक की टिप्पणियाँ (रिपोर्ट के अनुबंध 5 में वर्णित) को भी सीआईआर में शामिल किया जा सकता है।
- ix. सीआईआर में गलत जानकारी का सुधार: बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ - साथ साख सूचना कंपनियों को इस प्रकार की व्यवस्था लागू करनी चाहिए ताकि सीआईआर के डेटा में सुधार हेतु ग्राहकों से अनुरोध प्राप्त किए जा सकें। उच्च डेटा गुणवत्ता बनाए रखने की एक अच्छी पद्धति के रूप में सारे त्रुटिपूर्ण डेटा में सुधार स्रोत पर उस बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा किया जाना चाहिए जिसके द्वारा मूल रूप में डेटा प्रस्तुत किया गया है। साख सूचना कंपनियों को उधारकर्ता डेटा में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक कि डेटा प्रस्तुत करने वाले बैंक/वित्तीय

संस्था द्वारा इसमें स्रोत पर सुधार न कर दिया गया हो ताकि अपडेट किए गए डेटा को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अगले चक्र में प्रस्तुत गलत डेटा से अधिलेखित होने के जोखिम से बचा जा सके।

- x. सही की गई सीआईआर : सीआईआर में किसी प्रकार का सुधार किए जाने के मामले में, साख सूचना कंपनियों को संशोधित रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति उन सभी को उपलब्ध करानी चाहिए जिनको पिछले छह माह के दौरान रिपोर्ट जारी की गई है। तथापि, सीआईआर की लागत साख सूचना कंपनियों के सदस्यों द्वारा वहन की जाए यदि वे गलत डेटा दिए जाने हेतु जिम्मेदार हों।
